न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2015
प्रविष्टि दिनांक 22.06.2015

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

जरिये अध्यक्ष जाट सेवा समिति मालपुरा

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1371 / 3 रकबा 10 बिस्वा व 1371 / 4 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम डिग्गी तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010—2029 मे गै0मु0 तालाब भूमि दर्ज है। यह दोनो रकबा क्रमशः दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 को धर्मशाला निर्माणार्थ जाट सेवा समिति मालपुरा के नाम आवण्टित किया गया,जिस पर दिनांक 02.09.1992 को जरिए नामान्तरकरण सं0 2134 व दिनांक 17.05.1993 को जरिए नामान्तकरण संख्या 2150 के द्वारा (लीज अवधि 30 वर्ष) जमाबंदी मे इन्द्राज किया गया है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2070—2073 वाके ग्राम डिग्गी में भूमि खसरा नम्बर 1371 / 3 रकबा 10 बिस्वा व 1371 / 4 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि जाट सेवा समिति मालपुरा जिला टोंक (लीज अवधि 30 वर्ष) के नाम इन्द्राज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 2134 व 2150 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि राज्य सरकार द्वारा सभी औपचारिकताए पूरी करते हुए नियमो के तहत आराजी खसरा नम्बर 1371 मे से कुल 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डिग्गी अप्रार्थी जाट सेवा समिति को नियमानुसार आवंटित कर नामान्तकरण तस्दीक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

भवन, छात्रावास, खेल मेदान,चिकित्सालयो व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन के निर्माणार्थ भू–आवंटन नियम 1963 के प्रावधानो के तहत उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित की थी जिसकी पालना मे नामान्तकरण संख्या 3124 व 2150 तस्दीक कर खातेदारी दी गई है। ग्राम डिग्गी मे होने वाले सभी अधिकांश सरकारी कार्यक्रम इसी भवन मे सम्पादित होते है। तहसीलदार मालपुरा ने यह रेंफरेंस अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय की पालना मे पेश किया है, माननीय राज. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2004 का है,जबकि रेंफरेंस वर्ष 2015 मे 11 वर्ष बाद पेश किया है,जिसमे रेंफरेंस देरी से पेश करने का न तो कोई कारण लिखा गया है और न ही उक्त देरी को कण्डोन करने का कोई प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र रेंफरेंस के साथ पेश किया गया है। तथाकथित आवंटनो को पूर्व मे मूलचंद आदि बनाम राजस्थान राज्य आदि के उनवान से इसी रेंफरेंस मे अंकित अब्दुल रहमान वाले निर्णय के बिन्दूओ के आधार पर ही एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 4414/93 के द्वारा माननीय राज.उच्च न्यायालय जयपुर मे चुनोती दी गई थी, उस रिट याचिक मे स्वंय तहसीलदार मालपुरा अप्रार्थी संख्या 4 थे। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.1994 मे सारे कानूनी बिन्दूओ पर विस्तृत विचार करते हुए अप्रार्थी के हक मे किये गये आवंटन को सही व वैध मानते हुए याचिका खारिज की गई है। तत्तपश्चात उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राज.उच्च न्यायालय मे डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 289/94 व 190/94 प्रस्तुत करने पर डबल बेंच ने भी अपने निर्णय दिनांक 16.12.1994 के द्वारा अप्रार्थी के हक मे आवंटित उक्त भूमि के आवंटन व नामान्तकरण को सही व वैध माना है। तदुपरान्त फिर से राज. उच्च न्यायालय की सिंगल व डबल बेंच के निर्णयो के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे मूलचंद आदि द्वारा सिविल अपील नम्बर 6672–73/95 पेश करने पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07. 1995 को फिर से अप्रार्थी के आवंटन को यथावत रखने का निर्णय पारित किया था जो आज तक अन्तिम होकर अस्तित्व मे है।

सिवायचक भूमि को आवंटित करने मे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अडचन नही है। उक्त भूमि मौके पर कभी भी आवंटन से पूर्व से लेकर आवंटन की दिनांक व आज तक तालाबी भूमि के रूप मे उपयोग व उपभोग मे नही आई और न ही इस भूमि से डिग्गी के किसी तालाब के पानी के प्राकृतिक प्रवाह मे भी कोई रूकावट या कमी नही आई है। यह भूमि तालाब व उसके केचमेन्ट एरिया व भराव क्षेत्र से पृथक व अलग है। जिस कारण अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के निर्णय मे उल्लेखित बिन्दू इस प्रकरण पर लागू नही होते है। तथाकथित रेफरेंस प्रकरण दुर्भावनापूर्वक पेश किया गया है,जबकि ग्राम डिग्गी मे ही भूमि खसरा नम्बर 1371/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नेमीचन्द हरिजन आदि के नाम आज भी खातेदारी मे अंकित है तथा जमाबंदी मे किस्म तालाब प्रथम के रूप मे अंकित है। सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड मालपुरा ने अपने पत्र दिनांक 02.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर बनी हुई बिल्डिग से उनके विभाग के सार्वजनिक तालाब मेधसागर की पानी की आवक मे कोई रूकावट नही होने और इस भवन के निर्माण से तालाब गहरा होकर मेधसागर तालाब की भराव क्षमता मे वृद्वि होने की बात लिखकर दी है और इसी आशय का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिग्गी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.07.2016 के द्वारा दिया गया है। जाट सेवा समिति ने निर्माण कार्य आवंटित भूमि पर ही किया है। बरसात का पानी व गांव का पानी तालाब/नाडी मे जाने के लिए नाला बना हुआ है। तहसीलदार मालपुरा को इस प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

Scanned by CamScanner

कर खातेदारी प्रदान की थी और आवंटन की शर्तो के तहत ही अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर करोडो रूपये खर्च कर धर्मशाला भवन, प्याउ,स्कूल भवन,छात्रावास व खेल मेदान का निर्माण किया है। जाट सेवा समिति मालपुरा जिला टोंक एक रजि. सामाजिक संस्था है। ग्राम डिग्गी मे श्री कल्याण जी महाराज का प्रसिद्व मन्दिर होकर सबसे बडा तीर्थ स्थल होने के कारण प्रतिवर्ष हजारो व लाखो यात्री व दर्शनार्थी उक्त मन्दिर मे आते है,जिनकी सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए जाट सेवा समिति मालपुरा ने डिग्गी मे धर्मशाला निर्माण हेतु सक्षम अधिकारियो को सभी ओपचारिकतांए पूरी करते हुए आवेदन किया जिस पर स्थानीय प्रशासन व श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक ने राज.सरकार से पूर्वानुमति लेते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 के अनुसरण मे खसरा नम्बर 1371 मे से कुल 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डिग्गी मे प्याउ, स्कूल के भवन, छात्रावास, खेल मेदान,चिकित्सालयो व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन के निर्माणार्थ भू–आवंटन नियम 1963 के प्रावधानो के तहत उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित की थी,जिसकी पालना मे नामान्तकरण संख्या 3124 व 2150 तस्दीक कर खातेदारी दी गई है।

ग्राम डिग्गी मे होने वाले सभी अधिकांश सरकारी कार्यक्रम इसी भवन मे सम्पादित होते है। मौके पर धर्मशाला भवन व अन्य भवन पक्के निर्मित होकर संचालित होना स्वंय तहसीलदार मालपुरा ने अपने रेंफरेंस प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है। तहसीलदार मालपुरा ने यह रेंफरेंस अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय की पालना मे पेश किया है, माननीय राज. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2004 का है,जबकि रेंफरेंस वर्ष 2015 मे 11 वर्ष बाद पेश किया है,जिसमे रेंफरेंस देरी से पेश करने का न तो कोई कारण लिखा गया है और न ही उक्त देरी को कण्डोन करने का कोई प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र रेंफरेंस के साथ पेश नही किया है। तथाकथित आवंटनो को पूर्व मे मूलचंद आदि बनाम राजस्थान राज्य आदि के उनवान से इसी रेंफरेंस मे अंकित अब्दुल रहमान वाले निर्णय के बिन्दूओ के आधार पर ही एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 4414/93 के द्वारा माननीय राज.उच्च न्यायालय जयपुर मे चुनोती दी गई थी, उस रिट याचिक मे स्वंय तहसीलदार मालपुरा अप्रार्थी संख्या 4 थे। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.1994 मे सारे कानूनी बिन्दूओ पर विस्तृत विचार करते हुए अप्रार्थी के हक मे किये गये आवंटन को सही व वैध मानते हुए याचिका खारिज की गई है। तत्तपश्चात उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राज.उच्च न्यायालय मे डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 289/94 व 190/94 प्रस्तुत करने पर डबल बेंच ने भी अपने निर्णय दिनांक 16.12.1994 के द्वारा अप्रार्थी के हक मे आवंटित उक्त भूमि के आवंटन व नामान्तकरण को सही व वैध माना है। तदुपरान्त फिर से राज. उच्च न्यायालय की सिंगल व डबल बेंच के निर्णयो के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे मूलचंद आदि द्वारा सिविल अपील नम्बर 6672–73/95 पेश करने पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07. 1995 को फिर से अप्रार्थी के आवंटन को यथावत रखने का निर्णय पारित किया था जो आज तक अन्तिम होकर अस्तित्व मे है।

आराजी खसरा नम्बर 1371/1/2 वाके ग्राम डिग्गी मे से 6 बीघा भूमि तत्कालीन ए. एस. ओ. द्वारा मिसल नम्बर 387 दिनांक 23.01.1956 के द्वारा सिवायचक घोषित की गई थी और सिवायचक भूमि को आवंटित करने मे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अडचन नही है। उक्त भूमि मौके पर कभी भी आवंटन से पूर्व से लेकर आवंटन की दिनांक व आज तक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तालाबी भूमि के रूप मे उपयोग व उपभोग मे नही आई और न ही इस भूमि से डिग्गी के किसी तालाब के पानी के प्राकृतिक प्रवाह मे भी कोई रूकावट या कमी नही आई है। यह भूमि तालाब व उसके केचमेन्ट एरिया व भराव क्षेत्र से पृथक व अलग है। जिस कारण अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के निर्णय मे उल्लेखित बिन्दू इस प्रकरण पर लागू नही होते है। तथाकथित रेफरेंस प्रकरण दुर्भावनापूर्वक पेश किया गया है,जबकि ग्राम डिग्गी मे ही भूमि खसरा नम्बर 1371/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नेमीचन्द हरिजन आदि के नाम आज भी खातेदारी मे अंकित है तथा जमाबंदी मे किस्म तालाब प्रथम के रूप मे अंकित है। कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड मालपुरा ने भी अपने पत्र दिनांक 02.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर बनी हुई बिल्डिग से उनके विभाग के सार्वजनिक तालाब मेधसागर की पानी की आवक मे कोई रूकावट नही होने और इस भवन के निर्माण से तालाब गहरा होकर मेध सागर तालाब की भराव क्षमता मे वृद्वि होने की बात लिखकर दी है और इसी आशय का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिग्गी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.07.2016 के द्वारा दिया गया है।

जाट सेवा समिति ने निर्माण कार्य आवंटित भूमि पर ही किया है। बरसात का पानी व गांव का पानी तालाब/नाडी मे जाने के लिए नाला बना हुआ है। तहसीलदार मालपुरा को इस प्रकरण मे रेंफरेंस पेश करने का कोई अधिकार नही है। आवंटन राज्य सरकार की अनुषंशा पर जिला कलेक्टर टोक द्वारा धारा 92 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत भूमि सेटअपार्ट करके किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बहाल रहा है। प्रारम्भ से तहसीलदार मालपुरा उक्त कार्यवाही मे सहमत पक्षकार रहे है। अप्रार्थी की इस भूमि मे से होकर नदी या नाला अथवा तालाब व गै0मु0 नाडा आदि नही है और न ही नदी या नाले के बहाव का पानी निकलता है। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है। नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010–2029 में गै0मु0 तालाब भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार तालाबी दर्ज थी, उक्त तालाबी भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2134 व 2150 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि जाट सेवा समिति मालपुरा जिला टोंक एक रजि. सामाजिक संस्था है। ग्राम डिग्गी मे श्री कल्याण जी महाराज का प्रसिद्व मन्दिर होकर सबसे बडा तीर्थ स्थल होने के कारण प्रतिवर्ष हजारो व लाखो यात्री व दर्शनार्थी उक्त मन्दिर मे आते है,जिनकी सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए जाट सेवा समिति मालपुरा ने डिग्गी मे धर्मशाला निर्माण हेतु सक्षम अधिकारियो को सभी ओपचारिकतांए पूरी करते हुए आवेदन किया जिस पर स्थानीय प्रशासन व श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक ने राज.सरकार से पूर्वानुमति लेते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 के अनुसरण मे खसरा नम्बर 1371 मे से कुल 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डिग्गी मे प्याउ, स्कूल के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

मे रेंफरेंस पेश करने का कोई अधिकार नही है। आवंटन राज्य सरकार की अनुषंशा पर जिला कलेक्टर टोक द्वारा धारा 92 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत भूमि सेटअपार्ट करके किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बहाल रहा है। प्रारम्भ से तहसीलदार मालपुरा उक्त कार्यवाही मे सहमत पक्षकार रहे है। अप्रार्थी की इस भूमि मे से होकर नदी या नाला अथवा तालाब व गै0मु0 नाडा आदि नही है और न ही नदी या नाले के बहाव का पानी निकलता है। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है। नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान आर.आर.डी. 1982 पेज 298,आर.एल.डब्ल्यू 1999(2)राज.पेज 878, आर.आर.डी. 1974 पेज 564, आर.एल.डब्ल्यू 2017(1) रेवेन्यू पेज 393, आर.एल.डब्ल्यू 2016(1) रेवेन्यू पेज 585,आर.बी.जी.(20) 2013 पेज 262,उद्वरित किये है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत दृष्टान्त का गहन अध्ययन किया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010–2029 में खसरा नम्बर 1371/3 व 1371/4 गै0मु0 तालाब भूमि दर्ज है। जिला कलेक्टर टोंक द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 2 (61)राज/ग्रुप–3/92 दिनांक 21.04.1992 एंव क्रमांक 4(2(61))राज. ग्रुप–3(92) दिनांक 25.01. 1993 की पालना मे दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 को कुल 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि धर्मशाला निर्माणार्थ जाट सेवा समिति मालपुरा के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में दिनांक 02.09.1992 व 17.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 2134 व 2150 के द्वारा जाट सेवा समिति मालपुरा के हक मे जमावंदी मे इन्द्राज किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि जाट सेवा समिति मालपुरा जिला टोंक एक रजि. सामाजिक संस्था है। ग्राम डिग्गी मे श्री कल्याण जी महाराज का प्रसिद्व मन्दिर होकर सबसे बडा तीर्थ स्थल होने के कारण प्रतिवर्ष हजारो व लाखो यात्री व दर्शनार्थी उक्त मन्दिर मे आते है,जिनकी सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए जाट सेवा समिति मालपुरा ने डिग्गी मे धर्मशाला निर्माण हेतु सभी ओपचारिकताएं पूरी करते हुए आवेदन किया जिस पर स्थानीय प्रशासन व श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक ने राज.सरकार से पूर्वानुमति लेते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 के अनुसरण मे खसरा नम्बर 1371 मे से कुल 3 वीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डिग्गी मे प्याउ, स्कूल के भवन, छात्रावास, खेल मैदान,चिकित्सालयो व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन के निर्माणार्थ भू–आवंटन नियम 1963 के प्रावधानो के तहत उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित की थी जिसकी पालना मे नामान्तकरण संख्या 3124 व 2150 के द्वारा भूमि जाट सेवा समिति मालुपरा के हक मे दर्ज की गई। ग्राम डिग्गी मे होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम इसी भवन मे निःशुल्क सम्पादित होते है।

तथाकथित आवंटनो को पूर्व मे मूलचंद आदि बनाम राजस्थान राज्य आदि मे एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 4414/93 के द्वारा माननीय राज.उच्च न्यायालय जयपुर मे चुनोती दी गई थी, उस रिट याचिक मे स्वंय तहसीलदार मालपुरा अप्रार्थी संख्या 4 थे। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.1994 मे सारे कानूनी बिन्दूओ पर विस्तृत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

विचार करते हुए अप्रार्थी के हक मे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर किये गये आवंटन को सही व वैध मानते हुए याचिका खारिज की गई है। तत्तपश्चात उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राज.उच्च न्यायालय मे डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 289/94 व 190/94 प्रस्तुत करने पर डबल बेंच ने भी अपने निर्णय दिनांक 16.12.1994 के द्वारा अप्रार्थी के हक मे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आवंटित उक्त भूमि के आवंटन व नामान्तकरण को सही व वैध माना है। तदुपरान्त राज. उच्च न्यायालय की सिंगल व डबल बेंच के निर्णयो के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे मूलचंद आदि द्वारा सिविल अपील नम्बर 6672–73/95 पेश करने पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.1995 को अप्रार्थी के आवंटन को यथावत रखने का निर्णय पारित किया था जो आज तक अन्तिम होकर अस्तित्व मे है। सिवायचक भूमि को आवंटित करने मे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अडचन नही है। उक्त भूमि मौके पर कभी भी आवंटन से पूर्व से लेकर आवंटन की दिनांक व आज तक तालाबी भूमि के रूप मे उपयोग व उपभोग मे नही आई और न ही इस भूमि से डिग्गी के किसी तालाब के पानी के प्राकृतिक प्रवाह मे भी कोई रूकावट या कमी नही आई है। तथाकथित रेफरेंस प्रकरण दुर्भावनापूर्वक पेश किया गया है,जबकि ग्राम डिग्गी मे ही भूमि खसरा नम्बर 1371/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नेमीचन्द हरिजन आदि के नाम आज भी खातेदारी मे अंकित है तथा जमाबंदी मे किस्म तालाब प्रथम के रूप मे अंकित है। सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड मालपुरा ने अपने पत्र दिनांक 02.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर बनी हुई बिल्डिग से उनके विभाग के सार्वजनिक तालाब मेधसागर की पानी की आवक मे कोई रूकावट नही होने और इस भवन के निर्माण से तालाब गहरा होकर मेधसागर तालाब की भराव क्षमता मे वृद्वि होने की बात लिखकर दी है और इसी आशय का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिग्गी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.07.2016 के द्वारा दिया गया है। जाट सेवा समिति ने निर्माण कार्य आवंटित भूमि पर ही किया है। बरसात का पानी व गांव का पानी तालाब/नाडी मे जाने के लिए अलग से नाला बना हुआ है। जिस पर जाट सेवा समिति का अतिक्रमण नही है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1371/3 एंव 1371/4 का आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प 2 (61)राज/ग्रुप–3/92 दिनांक 21.04.1992 एंव क्रमांक 4(2(61))राज. ग्रुप–3(92) दिनांक 25.01.1993 के अनुसरण मे जिला कलेक्टर टोंक द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन होने के बाद नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज कर जाट सेवा समिति मालपुरा के हक मे भूमि का जमाबंदी मे इन्द्राज किया गया है। उक्त आवंटनो को माननीय राज. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला कलेक्टर टोंक द्वारा ग्राम डिग्गी की भूमि ख0न0 1371/3 व 1371/4 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का जाट सेवा समिति मालपुरा के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 19.04.1993 से संबंधित S.B. Civil Writ Petition No 4414/1993 में पारित आदेश दिनांक 10.02.1994 के पृष्ठ संख्या 18 के पैरा संख्या (1) की नौंवीं पंक्ति में आदेश दिया है कि **I will not like to interfere with the order of allotment in this writ petition and stop the construction as a whole. However I will like to issue certain directions hereinafter so that further damage is not done to the Tank.** इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने जाट सेवा समिति मालपुरा के हक मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 बहाल रखा है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच मे पारित उक्त आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ मे प्रस्तुत D.B. Civil Special Appeal No. 190/1994 में पारित आदेश दिनांक 16.12.1994 के पृष्ठ संख्या 20 के पैरा संख्या (1) की ग्यारहवीं पंक्ति से उल्लेखित किया है कि **We, therefore, reiterate out opinion expressed earlier that the allotment made in favour of the respondent No. 6 by the State Government and the Collector was wholly valid.** एंव माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ ने जाट सेवा समिति मालपुरा के पक्ष मे आवंटित भूमि को यथावत रखने के सिंगल बैंच के आदेश के विरूद्व अपील को खारिज कर दिया गया है।

माननीय राज.उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर बैच के उक्त निर्णय दिनांक 16.12.1994 के विरूद्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय मे प्रस्तुत Civil Appeal No. 6672-73/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.1995 के द्वितीय पैरा में निर्णय दिया है कि **The judgement of the learned single judge is affirmed including the directions contained in clauses (a) to (h) towards the end of his judgemnet.**

माननीय राज. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के सिंगल बैंच के निर्णय दिनांक 10.02.1994 व डबल बैंच के निर्णय दिनांक 16.12.1994 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय दिनांक 27.07.1995 मे जाट सेवा समिति मालपुरा के हक मे जारी आवंटन आदेश दिनांक 21.04.1992 व 19.04.1993 को बहाल रखा है। तहसीलदार मालपुरा ने रेंफरेंस प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि मौके पर धर्मशाला भवन का पक्का निर्माण है एंव संचालित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रस्तुत रेंफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

फलतः तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रस्तुत रेंफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 14:05:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: